

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
मानव संसाधन विकास समूह
सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली - 110012

सं. 6/Fellowship(ENH)/2k14/EMR-1

दिनांक : 19 मार्च, 2015

कार्यालय ज्ञापन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा फेलोशिप/एसोसिएटशिप की राशि में वृद्धि करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। फेलोशिप/एसोसिएटशिप की राशि में वृद्धि की दर दिनांक 01.10.2014 से निम्नवत रूप से प्रभावी होंगी :-

क्र.सं.	रिसर्च फेलोस्/रिसर्च एसोसिएट्स	वर्तमान परिलब्धियां (रुपये)		संशोधित परिलब्धियां(रुपये)	
		प्रथम दो वर्ष	दूसरे वर्ष के बाद	प्रथम दो वर्ष	दूसरे वर्ष के बाद
1	जेआरएफ-नेट	16000	18000	25000	28000
2	एसआरएफ-प्रत्यक्ष	18000	18000	28000	28000
3	रिसर्च एसोसिएट्स – I*	22000	22000	36000	36000
4	रिसर्च एसोसिएट्स – II*	23000	23000	38000	38000
5	रिसर्च एसोसिएट्स – III*	24000	24000	40000	40000

ओ. उममन पणिकर

(ओ. उममन पणिकर)

उप सचिव (ईएमआर)/कॉम्प्लेक्स

प्रति:

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थानों के निदेशक *
2. सभी अनुदानग्राही संस्थान
3. अनुदान ग्राही- संस्थानों के सभी वित्त अधिकारी
4. सचिव, डी.ए.आई.आर के निजी सचिव
5. सचिव, डी.एस.टी. के निजी सचिव
6. सचिव, डी.बी.टी. के निजी सचिव
7. महानिदेशक, सीएसआईआर के प्रधान निजी सचिव/महानिदेशक कार्यालय में कार्यरत अवर सचिव
8. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर के निजी सचिव
9. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव
10. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक /प्रशासन नियंत्रक /प्रशासनिक अधिकारी एवं वित्त लेखा नियंत्रक /वित्त एवं लेखा अधिकारी
11. प्रमुख, मानव संसाधन विकास समूह (एचआरडीजी) के निजी सचिव
12. उप वित्त सलाहकार/वित्त एवं लेखा अधिकारी (ईएमआर)
13. सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष
14. नोटिस बोर्ड
15. प्रमुख (सूचना प्रौद्योगिकी) : इस अनुरोध के साथ की कृपया इस का.ज्ञा. को एचआरडीजी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

* इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त वृद्धि के कारण होने वाले वित्तीय निहितार्थों के संबंध में बुद्धवार दिनांक 25.03.15 तक सूचित करें, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी ने इच्छा व्यक्त की है। अन्य स्कीमें जैसे एसपीएमएफ/नेहरु पीडीएफ तथा जेआरएफ/एसआरएफ(गेट) विचाराधीन हैं और अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

कृपया देखें: उक्त वेब-अधिसूचना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि रिसर्च एसोसिएट्स (अर्थात् RA-I*, RA-II* एवं RA-III*) की संशोधित परिलब्धियां(revised emoluments) सीएसआईआर द्वारा प्रायोजित ईएमआर परियोजनाओं में कार्यरत रिसर्च एसोसिएट्स पर भी लागू होंगी।

ओ. उममन पणिकर

(ओ. उममन पणिकर)

उप सचिव (ईएमआर)/कॉम्प्लेक्स

Council of Scientific & Industrial Research
Human Resource Development Group
CSIR Complex, Pusa, New Delhi – 110 012

No. 6/Fellowship(ENH)/2k14/EMR-I


19th March 2015

Office Memorandum

The Competent Authority has accorded approval for enhancement of fellowships/associateships. The enhanced rate of fellowships/associateships effective from 01-10-2014, are as follows:

Sno	Research Fellows/ Research Associates	Existing emoluments (Rs.)		Revised emoluments (Rs.)	
		1 st year	After 2 nd year	1 st year	After 2 nd year
1	JRF-NET	16000	18000	25000	28000
2	SRF-Direct	18000	18000	28000	28000
3	Research Associates-I*	22000	22000	36000	36000
4	Research Associates-II*	23000	23000	38000	38000
5	Research Associates-III*	24000	24000	40000	40000

Hindi version will follow.



(O. Omman Panicker)
Deputy Secretary (EMR)/CSIR Cx.

Copy to:-

1. The Directors of all National Labs/Instt. of CSIR*
2. All Grantee-Institutions
3. All Finance Officers of Grantee Institutions
4. PS to the Secretary, D.S.I.R
5. PS to the Secretary, D.S.T.
6. PS to the Secretary, D.B.T.
7. PPS/US to DG, CSIR
8. PS to JS (Adm), CSIR
9. PS to FA&JS, CSIR
10. Sr. CoA/CoAs/.AOs &CoFA/FAOs of all National Labs/Instt. of CSIR
11. PS to Head, HRDG
12. DyFA/FAO (EMR)
13. All Divisional/Sectional Heads of CSIR Cx
14. Notice Board
15. Head(IT) : with a request to kindly host this in our website.

*With the request to kindly intimate the financial implications due to the above enhancement, by Wednesday- the 25/3/2015 as desired by the competent authority. Other schemes, such as SPMF/Nehru PDF and of JRF/SRF(GATE) etc. are under consideration and will be notified subsequently upon approval, please.

PS : W.r.to above web-notification, it is clarified that the revised emoluments of Research Associates (i.e. RA-I*, RA-II* & RA-III*) will also be applicable to the Research Associates working in EMR Projects sponsored by CSIR.


(O. Omman Panicker)
Deputy Secretary (EMR)/ CSIR Cx.